आरबीई सं.139/2016

GOVERNMENT OF INDIA/ भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय
RAILWAY BOARD/(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(डब्ल्यू)2016/ईजी-1/4 नई दिल्ली, दिनांक: 25.11.2016

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयाँ।
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषयः सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन - वास्तविक सरकारी ड्यूटियों के निर्वहन के दौरान दिवंगत होने वाले रेल कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रह एकमुश्त मुआवजे को विनियमित करने वाले उपबंधों का संशोधन।

संदर्भ: बोर्ड के (i) दिनांक 5.11.99 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)99/सीपी-1/1 और (ii) दिनांक 30.9.2008 का ई(डब्ल्यू)2008/सीपी-1/7।

7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, राष्ट्रपति के अनुमोदन से यह विनिश्चिचय किया गया है कि विभिन्न परिस्थितियों में अपनी वास्तविक सरकारी डयूटी के निर्वहन के दौरान दिवंगत होने वाले रेल सेवकों के परिवारों के मामले में रेल मंत्रालय द्वारा कार्मिक और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 04.08.2016 के का.ज्ञा.सं. 38/37/2016-पीएंडपीडब्ल्यू (ए) (i) पैराग्राफ 12.1 के अंतर्गत यथा संशोधित अनुग्रह एकमुश्त मुआवजे को अपनाया जाए। तदनुसार, इस मंत्रालय के दिनांक 30.9.2008 के पत्र संख्या ई(डब्ल्यू)2008/सीपी-1/7 के पहले पैराग्राफ के उप पैराग्राफ (क) से (घ) को नीचे लिखे अनुसार आशोधित और प्रतिस्थापित किया गया है:

	परिस्थितियाँ	राशि (रु.)
(क)	ड्यूटियों के निर्वहन के दौरान दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु ।	25 लाख
(ख)	आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों आदि द्वारा हिंसा के कृत्यों के कारण ड्यूटियों के निर्वहन के दौरान मृत्यु ।	25 लाख
(ग)	सीमा पर झड़पों में और चरमपंथियों, आतंकवादियों, अराजकतावादियों, समुद्री डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मृत्यु	35 लाख
(घ)	प्राकृतिक आपदाओं, चरम मौसम की परिस्थिति के कारण निर्दिष्ट उच्च ऊंचाई, दुर्गम सीमा चौकियों आदि में ड्यूटी के दौरान मृत्यु	35 लाख
(ङ)	युद्ध में शत्रु कार्रवाई के दौरान होने वाली मृत्यु या ऐसे युद्ध जैसी मुठभेड़ के दौरान मृत्यु, जो रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट रूप से अधिसूचित की जाएं और विदेशों में युद्धग्रस्त क्षेत्र से भारतीय नागरिकों की निकासी के दौरान मृत्यु।	45 लाख

2. ये आदेश 1.1.2016 को या उसके बाद ड्यूटी के निर्वहन के दौरान दिवंगत होने वाले रेल कर्मचारियों के मामले में लागू होते हैं।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया गया है।

4. कृपया पावती दें।

(सुनील कुमार)
निदेशक, स्था.(कल्याण)
रेलवे बोर्ड

सं. ई(डब्ल्यू)2016/ईजी-1/4 नई दिल्ली, दिनांक 25.11.2016

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. भारत के उपनियंत्रक और महालेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. वित्त सलाहकार एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, सभी उत्पादन इकाइयां, पूसीरे(निर्माण), कॉफमो/नई दिल्ली

कृते वित्तीय आयुक्त / रेलवे

सं. ई (डब्ल्यू)2016 / ईजी-1/4 नई दिल्ली, दिनांक 25.11.2016

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नंबर 256-ई, रेल भवन, एन दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नंबर 253, रेल भवन, नई दिल्ली।(35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
3. सेक्रेटरप जनरल, एफआरओए, कमरा नंबर 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली।(5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
4. सेक्रेटरी, आरबीएसएस, ग्रुप ' ए ' ऑफिसर्स एसोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5. प्रेजीडेंट, रेलवे बोर्ड क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन(5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. सेक्रेटरी, आरबीएसएस ग्रुप ' बी ' ऑफिसर्स एसोसिएशन।
7. जनरल सेक्रेटरी, आरबीएसएसए, कमरा नंबर 439, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा नंबर 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
9. सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन
10. सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड क्लास IV स्टाफ एसोसिएशन
11. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नंबर 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली-110001 (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
12. सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं.341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली
13. प्रेजीडेंट, आल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्पलाइज एसोसिएशन, 7-भूतल तल, रेल भवन, नई दिल्ली

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड